

आर. ई. ओ. 21

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अन-पीपीएण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/पे० 613 दिनांक : 20-6-2002

आदेश

विषय - कृषि आवेदकों को पोल अनुदान राशि के संबंध में ।

दिनांक 3/6/2002 की समन्वय समिति में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व विद्युत मण्डल क कृषि कनेक्शन दिशा-निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 6(अ) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुये यह निश्चय किया गया है कि अब से सामान्य श्रेणी अन्तर्गत दिये जाने वाले पूर्व के अनुदान में प्रति हेक्टेयर पावर के प्रतिबन्ध को हटाया जाता है तथापि यह अनुदान अधिकतम 8 पोल तक ही संचालित देय होगा अर्थात् किसी भी हेक्टेयर के सामान्य श्रेणी के आवेदक को 8 पोल तक अनुदानित राशि देय होगी ।

यह आदेश 15 जून के पश्चात् जमा होने वाले डिमांड नोटिसों पर लागू होगा ।

(एच०एस०देवडा)
उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।